आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्यूक्ति
02.01.2019	दिनांक–29.01.2019 को 2.00 बजे अपराह्न Video Conferencing के माध्यम से शिकायतकर्त्ता – श्री आलो दास, श्रीमती सेफाली महापात्रा, श्रीमती ममता दास एवं जानकी दास के ससुर श्री मानिक चंद्र दास से वार्त्ता हुई। अंचल अधिकारी सह प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी चाकुलिया द्वारा पूर्व प्रतिवेदित प्रतिवेदन के आलोक में अपीलकर्त्ताओं से पृच्छा की गई। जिसमें अपीलकर्त्ताओं ने प्रतिवेदन ~~पर~~ का समर्थन करते हुए कहा कि जनवितरण प्रणाली दुकानदार द्वारा उन्हें शिकायत अवधि ~~पर~~ का राशन उपलब्ध करा दिया गया है। तत्पश्चात् प्रत्येक माह नियमतः अनाज मिल रहा है। अपीलकर्त्ताओं से पुनः जानकारी ली गई कि उन्हें अब कोई शिकायत है, तो बतावें। इस पर उन लोगों ने कोई भी शिकायत नहीं होने की बात कही। अतः कार्रवाई को संचिकास्त किया जाता है। 29.1.19 — 29.01.2019 (उपेन्द्र नारायण उराँव) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हलधर महतो) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

E:\Ziyaul\न्यायालय आदेश.docx3